



छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,
(A GOVERNMENT OF C.G.UNDER TAKING)(A SUCCESSOR COMPANY OF CSEB)
CIN: U40100CT2003SGC015821

**कार्यालय-मुख्य अभियंता (प्रशिक्षण)
विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान, कोरबा पूर्व**

क्रमांक / 20-02 / पीजीटीआई / ए.पी.टी. / 724

कोरबा पूर्व, दिनांक 02/07/2025

विज्ञापन

अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 (As amended in 1973 , 1986 & 2014) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2025-26 के लिये निम्नलिखित संकायों में आई. टी.आई. योग्यता धारियों को एक वर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण (Apprenticeship Training) हेतु नियोजित किया जाना है जो निम्नानुसार है :-

(01) आई.टी.आई. ट्रेड अप्रेंटिस :-

क्रमांक	ट्रेड	प्रशिक्षुओं की संख्या	अर्हकारी शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षु वृत्ति की दर
01	COPA(Computer Operator & Programming Assistant)	10	मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में आई.टी.आई. पत्रोपाधि उत्तीर्ण।	रुपये 7,000 /-प्रतिमाह
02	STENO(English)	08		
03	STENO(Hindi)	08		
	Total	26		

नोट:- उपरोक्त प्रशिक्षुओं को छ.ग.रा.वि.उ.कं.मर्या.के हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह मड़वा तेदूभाठा जि.जांजगीर चांपा एवं हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र माचाडोली में नियोजित किया जावेगा।

उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासरत उम्मीदवारों से (Apprenticeship Training) प्रशिक्षण हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाते है ।
नियम एवं शर्त :-

01. आरक्षण :-उम्मीदवारों का चयन छ.ग. शासन के नियमानुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा ।
02. चयन प्रक्रिया :-
 1. पात्र उम्मीदवारों का चयन अर्हकारी परीक्षा में प्राप्त अंको एवं साक्षात्कार मे प्राप्त अंको के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जावेगी ।

2. मुख्य चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची कंपनी के वेबसाइट पर प्रकाशित की जावेगी एवं चयनित एवं प्रतीक्षा सूची सम्मिलित उम्मीदवारों को उनके ईमेल द्वारा सूचित करते हुए निर्धारित तिथि को कान्फ्रेक्ट (अनुबंध) बनाने हेतु उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जायेगा ।

- 03 उम्मीदवारों का (Apprenticeship) प्रशिक्षण मात्र एक वर्ष की अवधि के लिये होगी प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर जनरेशन कंपनी लिमिटेड में अस्थाई/स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे ।
- 04 जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव एक वर्ष या अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं/कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं हैं ।
- 05 चयनित उम्मीदवारों को प्रशिक्षण पर उपस्थित होने के समय एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा पूर्व में कहीं आप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (Amended in 1973, 1986 & 2014) के अंतर्गत प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है । घोषणा पत्र का प्रारूप Contract Registration Form में उपलब्ध है । शैक्षणिक योग्यता परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि और प्रशिक्षण प्रारंभ होने की तिथि के मध्य की अवधि एक वर्ष से कम अथवा एक वर्ष से तीन वर्ष के बीच हो तो उम्मीदवारों को स्व-शपथपत्र (Self Affidavit) प्रस्तुत करना होगा कि वे इस अवधि में अन्य किसी जगह कार्यरत नहीं थे (प्रारूप संलग्न) ।
- 06 प्रशिक्षुओं (Apprenticeship) को हॉस्टल अथवा वाहन सुविधा उपलब्ध नहीं होगी ।
- 07 अभ्यर्थियों का www.apprenticeshipindia.gov.in वेबसाइट पर NCVT MIS (NAPS) Portal में Registration करवाना अनिवार्य रूप से होना चाहिए तथा आवेदन पत्र में वैध 16 Digit Registration Number अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना होगा ।
- 08 आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्व-सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा :-
- (i) संलग्न प्रारूप में आवेदन पत्र ।
 - (ii) संलग्न प्रारूप में शपथ पत्र ।
 - (iii) 10 वीं एवं 12 वीं की अंकसूची की छायाप्रति ।
 - (iv) अर्हकारी परीक्षा आई.टी.आई. अंकसूची की छायाप्रति ।
 - (v) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को छ.ग. शासन के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई स्थाई जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।
 - (vi) छ.ग. राज्य का स्थाई निवास प्रमाण पत्र की छायाप्रति ।
 - (vii) आधार कार्ड की छायाप्रति ।
 - (viii) National Apprenticeship Promotion Scheme (NAPS) का Registration Number.

09. आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जुलाई 2025 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय के निम्न पते पर (कार्यालयीन समय सुबह 10.00 बजे से शाम 05.30 बजे तक) जमा कर सकते हैं । अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

कार्यालय-मुख्य अभियंता/कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण),
विद्युत उत्पादन प्रशिक्षण संस्थान,
छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ,
कोरबा पूर्व ,जिला-कोरबा (छ.ग.) 495677

10. अन्य नियम एवं शर्तें अप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 (As amended in 1973, 1986 & 2014) के तथा समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन होगी ।


कार्यपालक निदेशक (प्रशिक्षण)
पी.जी.टी.आई.,छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या.,कोरबा (पूर्व)

प्रतिलिपि:-

1. कार्यपालक निदेशक/मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता डी.एस.पी.एम.टी.पी.एस. /एच.टी.पी.एस./ए.बी.व्ही.टी.पी.एस./हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र, कोरबा पूर्व/कोरबा पश्चिम/ मड़वा तेदूभाठा जि.जांजगीर चांपा/माचाडोली की ओर सूचना पटल पर प्रकाशन हेतु ।
2. संयुक्त संचालक एवं राज्य शिक्षुता सलाहकार, संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), ब्लाक - 4, प्रथम तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर नवा रायपुर(छ. ग.)।
3. स्टॉफ आफिसर-सम्बद्ध प्रबंध निदेशक (उत्पा.)छराविउकंमर्या, रायपुर ।
4. प्राचार्य / शिक्षुता सलाहकार.....
आई.टी.आई.....